RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2144/2024

URN: CMA / 3705U / 2024

1. Bhairulal S/o Sundarlal, Aged About 63 Years,
2. Smt. Vimla Devi W/o Bhairulal, Aged About 60 Years, Both R/o Village Rampura, Tehsil Shahpura, District Jaipur, Rajasthan.

----Appellants/Claimants

Versus

1. Kamal Singh S/o Rampal Singh, R/o Sarai Kalan, Tehsil Mundawar, District Alwar, Rajasthan. (Driver Of Vehicle Bolero No. RJ-24-UA-7710)
2. Mahendra Singh S/o Shaitan Singh, R/o House No. 1336, JDA Colony, Govindpura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan. (Registered Owner Of Vehicle Bolero No. RJ-24-UA-7710)
3. Iffco Tokio General Insurance Company Ltd., Insurance Company Through Manager, 34, Nehru Palace, New Delhi. (Insurance Company Of Vehicle Bolero No. RJ-24-UA-7710)
4. Subesingh Meena S/o Roshanlal Meena, R/o Gadhi Mamod, Tehsil Thanagazi, Tehsil Bansur, District Alwar, Rajasthan. (Driver And Owner Of Vehicle No. RJ-02-CC-6001)
5. The New India Insurance Company Ltd., Insurance Company Of Vehicle No. RJ-02-CC-6001 Through Manager, 1215, 12th Floor Naurang House 21-Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.

---Non-Claimant/Respondent

6. Teeja Lonayat W/o Late Rohitasha Dhabas, Aged About 33 Years, R/o Village Rampura, Tehsil Shahpura, District Jaipur, Rajasthan.

----Claimant/Proforma Respondent

Connected With

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1969/2024

URN: CMA / 3381U / 2024

Teeja Lonayat W/o Late Shri Rohitasha Dhabas, Aged 33 Years, R/o- Village Rampura, Tehsil Shahpura, Distt. Jaipur, Rajasthan.

----Claimant-Appellant.

Versus

1. Kamal Singh S/o Rampal Singh, R/o- Saray Kalan, Tehsil

Mundawar, Distt. Alwar. Raj. (Driver Bolero No. RJ-24-UA-7710).

2. Mahendra Singh S/o Shaitan Singh, R/o-Makan No. 1336, JDA Colony Govindpura, Sanganer, Jaipur, Raj.
(Regd. Owner Bolero No. RJ-24-UA-7710).

3. Iffco Tokio General Insruance Company Limited, Insurer Company Through Manager, 34 Nehru Palace, New Delhi.
(Ins. Co. Bolero No. RJ-24-UA-7710).

4. Sube Singh Meena S/o Roshan Lal Meena, R/o-Gadhi Mamod, Tehsil Thanaganji, Tehsil Bansoor, Distt. Alwar. Raj.
(Driver & Owner Vehicle No. RJ-02-CC-6001).

5. The New India Insurance Company Limited, Insurer Company Vehicle No. RJ-02-CC-6001, Through Manager, 1215, 12th Floor, Naurang House 21- Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110001. Through Authorised Officer, Address Jangid Building, M.I. Road, Jaipur.

----Non-Claimants-Respondents.

6. Bhairu Lal S/o Sundar Lal, Aged 63 Years,

7. Smt. Vimla Devi W/o Bhairu Lal, Aged 60 Years,
All R/o- Village Rampura, Tehsil Shahpura, Distt. Jaipur. Rajasthan.

----Respondents-Claimants No. 2 & 3.

For Appellant(s)	:	Mr. Santosh Kumar Soni, Adv. Mr. Ram Sharan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. V.P. Mathur, Adv. Mr. Ankit Nakwal, Adv. for Mr. Gopal Prasad Gupta, Adv. Mr. Aniket, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

03/07/2026

1. दावाकर्तागण / अपीलार्थीगण **भैरूलाल व अन्य (मृतक के पिता व माता)** की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–2144 / 2024** एवं दावाकर्ता / अपीलार्थिया **तीजा लोनायत (मृतक की पत्नी)** की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1969 / 2024,** उक्त दोनों दीवानी विविध

अपीलें धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अपर जिला न्यायालय संख्या–2, शाहपुरा, जिला जयपुर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–232/2016, तीजा लोनायत व अन्य बनाम कमल सिंह व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 24.01.2024** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण **तीजा लोनायत व अन्य** द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में **रोहिताश ढबास** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 3,53,38,120/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण **तीजा लोनायत व अन्य** को **कुल 36,95,810/– रुपये** की राशि बतौर क्षतिपूर्ति **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण **भैरूलाल व अन्य (मृतक के पिता व माता)** की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–2144/2024**, विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु तथा अपीलार्थिया **तीजा लोनायत (मृतक की पत्नी)** की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1969/2024,** निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का कुछ भाग दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. **दीवानी विविध अपील संख्या–2144/2024** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि वक्त घटना मृतक को दिल्ली पुलिस (सिक्योरिटी) में कॉस्टेबल के पद पर पदस्थापित होकर प्रतिमाह 34,593/– रुपये मासिक वेतन प्राप्त करना बताया गया है, जिसके संबंध में मृतक की माह जुलाई, 2016 की वेतन स्लिप भी पत्रावली पर पेश की गयी थी, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की कुल सकल मासिक आय में से कटौती की जाकर मृतक की मासिक आय 27,000/– रुपये निर्धारित कर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की

प्रत्याशा की मद में कोई भविष्य वृद्धि नहीं की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थीगण **भैरूलाल व अन्य** की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–2144/2024** को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. **दीवानी विविध अपील संख्या–1969/2024** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा है कि अपीलार्थिया मृतक की पत्नी है, जिसने दूसरा विवाह कर लिया है, इस कारण विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को वक्त घटना मृतक पर आश्रित नहीं माना गया है तथा निर्धारित सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि भी मृतक के माता–पिता को दिलवाई गई है। अतः अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का कुछ भाग अपीलार्थिया को दिलवाये जाने का निवेदन किया गया।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा व्यक्त किया कि मृतक की पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है तथा वह अपने पति के साथ निवास कर रही है, इस कारण उसे मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता। अतः उपरोक्त आधारों पर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये आक्षेपित निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपीलों को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावलियों व विद्वान अधिकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत अपीलों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है :–

दीवानी विविध अपील संख्या–2144/2024 :–

तथा

दीवानी विविध अपील संख्या–1969/2024 :–

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 30.07.2016 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को दिल्ली पुलिस

(सिक्योरिटी) में कॉस्टेबल के पद पर पदस्थापित होकर प्रतिमाह 34,593/– रुपये मासिक वेतन प्राप्त करना बताया गया है, जिसके संबंध में मृतक की माह जुलाई, 2016 की वेतन स्लिप प्रदर्श–47 विद्वान अधिकरण के समक्ष पत्रावली पर पेश की गई। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श–47 पर विश्वास करते हुए उसमें दर्शाये गये सकल वेतन 31,558/– रुपये में से एन.पी.एस. राशि 2,147/– रुपये, सी.जी.ई.जी.आई.एस. राशि 30/– रुपये, डी.पी.डब्ल्यू.एस. राशि 150/– रुपये, लोन फण्ड राशि 2,167/– रुपये व Martyrs Fund राशि 10/– रुपये को घटाते हुए मृतक की कुल मासिक आय 27,000/– रुपये, तद्नुसार वार्षिक आय 3,24,000/– रुपये निर्धारित की गई है, जबकि मृतक के वेतन स्लिप प्रदर्श–47 में दर्शाई गई सकल आय को आधार माना जाकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **National Insurance Co. Ltd. Vs. Indira Srivastava** reported in **(2008) 2 SCC 763** के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :–

> "**19**. The amounts, therefore, which were required to be paid to the deceased by his employer by way of perks, should be included for computation of his monthly income as that would have been added to his monthly income by way of contribution to the family as contradistinguished to the ones which were for his benefit. We may, however, hasten to add that from the said amount of income, the statutory amount of tax payable thereupon must be deducted."

9. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Meenakshi Vs. The Oriental Insurance Co. Ltd.** reported in **2024 ACJ 1647** के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :–

> "**9.** Recently in a judgment dated 11th July, 2024 in National Insurance Company Ltd. v. Nalini and Ors. [Petition for Special Leave to Appeal (C) No. 4230/2019], this Court held that, allowances under the

> heads of transport allowance, house rent allowance, provident fund loan, provident fund and special allowance ought to be added while considering the basic salary of the victim/deceased to arrive at the dependency factor.
>
> **10.** Therefore, components of house rent allowance, flexible benefit plan and company contribution to provident fund have to be included in the salary of the deceased while applying the component of rise in income by future prospects to determine the dependency factor. The Accident Claims Tribunal was justified in factoring these components into the salary of the deceased, before applying 50% rise by future prospects due to future prospects, while calculating the total compensation payable to the Appellant.
>
> **12**. We, therefore, hold that the High Court has erred while omitting to add the components of house rent allowance, flexible benefit plan and Company contribution to provident fund to the basic salary of the deceased while applying the principle of rise in income by future prospects."

10. मृतक की वेतन स्लिप प्रदर्श–47 में मृतक का मूल वेतन 7,540/– रुपये, ग्रेड पे 2,000/– रुपये, महंगाई भत्ता 11,925/– रुपये, मकान किराया भत्ता 2,862/– रुपये, यात्रा भत्ता 3,600/– रुपये, धुलाई भत्ता 90/– रुपये, ब्वउचण एच.आर.ए. भत्ता 310/– रुपये, मेट्रो पी. भत्ता 180/– रुपये, राशन मनी भत्ता 2,961/– रुपये तथा कंवेयंस भत्ता 90/– रुपये सहित कुल सकल वेतन 31,558/– रुपये अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Indira Srivastava (supra)** व **Meenakshi (supra)** के मामलों में पारित मत से सहमत होते हुए वक्त घटना मृतक की मासिक आय 31,558/– रुपये, तद्नुसार वार्षिक आय 3,78,696/– रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं।

11. जहां तक निर्धारित वार्षिक आय पर आयकर कटौती का प्रश्न है तो इस संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–2017/कर निर्धारण वर्ष 2017–2018 में 2,50,000/– रुपये तक की आय पर आयकर शून्य व 2,50,001/– रुपये से 5,00,000/– रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत आयकर, 5,00,001/– रुपये से 10,00,000/– रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत आयकर तथा 10,00,000/– रुपये व उससे अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर देय था। मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 3,78,696/– रुपये में से 2,50,000/– रुपये घटाने के उपरांत मृतक की शेष वार्षिक आय 1,28,696/– रुपये रहती है, जिसका 10 प्रतिशत आयकर 12,870/– रुपये होता है, जिसे मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 3,78,696/– रुपये में से घटाने के उपरांत मृतक की कुल वार्षिक आय 3,65,826/– रुपये होती है। विद्वान अधिकरण मृतक की निर्धारित वार्षिक आय पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई भविष्य वृद्धि नहीं की गयी है। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 26 वर्ष की आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा भी मृतक की आयु वक्त घटना 26 वर्ष निर्धारित की गई है। चूंकि वक्त घटना मृतक 26 वर्ष आयु का वेतन भोगी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित वार्षिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 50 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 3,65,826/– रुपये का 50 प्रतिशत 1,82,913/– रुपये होता है। उक्त 50 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित वार्षिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल वार्षिक आय 5,48,739/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

12. वक्त घटना मृतक के पर कुल 03 आश्रित बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की गई है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की पत्नी को मृतक

RAJASTHAN HIGH COURT

पर आश्रित नहीं माना गया है। यदि मृतक की पत्नी को वक्त घटना मृतक पर आश्रित मान भी लिया जाता है तो भी वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 1/3 भाग की ही कटौती किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा 1/3 भाग की जो कटौती की गई है, वह उचित प्रतीत होती है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 5,48,739/– रुपये का 1/3 भाग 1,82,913/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित वार्षिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 3,65,826/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 17 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 3,65,826/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 3,65,826 x 17 = 62,19,042/– रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पिता व माता प्रत्येक को 40,000/– रुपये, इस प्रकार कुल 80,000/– रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गई है। मृतक की पत्नी अपीलार्थिया/प्रोफोर्मा रेस्पोडेंट संख्या–6 को कंसोर्टियम की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

14. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2016 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त),**

RAJASTHAN HIGH COURT

सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थिया/प्रोफोर्मा रेस्पोडेंट संख्या–6 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये तथा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या–1 व 2 को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में प्रत्येक को 40,000/– रुपये (कुल 1,20,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है, उपरोक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

16. उक्तानुसार अपीलार्थीगण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (राशि रूपये में)**
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	62,19,042/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,20,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**63,69,042/–**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		36,95,810/–
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**26,73,232/–**

17. मृतक की पत्नी अपीलार्थिया **तीजा लोनायत** द्वारा एक अन्य **दीवानी विविध अपील संख्या–1969/2024** इस न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाकर निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का कुछ भाग अपीलार्थिया को दिलवाये जाने का निवेदन किया गया है।

18. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा यह तर्क लिया गया है कि मृतक की पत्नी तीजा लोनायत ने पुनर्विवाह कर लिया है तथा मृतक की मृत्यु के फलस्वरूप उसकी पत्नी अपीलार्थिया तीजा लोनायत ने अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर ली है व मृतक की मृत्यु पश्चात् मिलने वाले समस्त परिलाभ भी

मृतक की पत्नी ने प्राप्त कर लिये हैं। ऐसी स्थिति में मृतक की पत्नी अपीलार्थिया तीजा लोनायत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

19. इसके विपरीत अपीलार्थिया तीजा लोनायत (मृतक की पत्नी) का तर्क रहा है कि वह मृतक की विवाहिता पत्नी है, उसने पुनर्विवाह कर लिया है, लेकिन पति की मृत्यु के उपरांत विधवा का जीवन व्यतीत करने के उपरांत उसने पुनर्विवाह किया है। अपीलार्थिया को मृतक की मृत्यु उपरांत जो अनुकम्पा नियुक्ति मिली है व जो वेतन परिलाभ आदि मिले हैं, वे मृतक के विधिक प्रतिनिधि के तौर पर उसने प्राप्त किये हैं। अतः अनुकम्पा नियुक्ति तथा परिलाभ आदि प्राप्त कर लेने मात्र से दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु कारित होने से उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

20. इस मामले में विद्वान अधिकरण ने मृतक की पत्नी को यह कहते हुए कोई राशि नहीं दिलवाई है कि मृतक की पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है, वह अपने दूसरे पति पर आश्रित है तथा मृतक की मृत्यु पश्चात् मिलने वाले समस्त परिलाभ व अनुकम्पा नियुक्ति भी मृतक की पत्नी ने प्राप्त किए हैं, इसलिए मृतक की पत्नी को कोई राशि नहीं दिलवाई गई है।

21. इस संबंध में हमारा मानना यह है कि दुर्घटना के दिन अपीलार्थिया तीजा लोनायत अपने मृतक पति पर आश्रित थी तथा उसने मृतक के जीवित रहने तक विवाहिता का जीवन व्यतीत किया है। अपीलार्थिया तीजा लोनायत को जो भी वेतन परिलाभ, अनुकम्पा नियुक्ति आदि मिले हैं, वे विधिक प्रतिनिधि के अनुसरण में मिले हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थिया तीजा लोनायत को मृतक **रोहिताश** की मृत्यु के कारण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता हैं, किन्तु मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के **माता–पिता श्रीमती विमला व भैरूलाल** अधिक क्षतिपूर्ति राशि तथा मृतक की पत्नी अपीलार्थिया **तीजा लोनायत** कम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।

22. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थिया **तीजा लोनायत** द्वारा प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या–1969/2024** व मृतक के माता–पिता द्वारा संस्थित **दीवानी विविध अपील संख्या–2144/2024,** उपरोक्त दोनों दीवानी विविध अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विद्वान

अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को **36,95,810/— रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **63,69,042/— रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है तथा उपरोक्त निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि **63,69,042/— रूपये** में से 20 प्रतिशत राशि अर्थात् **12,73,808/— रुपये,** मृतक की पत्नी अपीलार्थिया **तीजा लोनायत** को दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है तथा शेष रही **राशि 50,95,234/— रुपये** को मृतक के पिता व माता अपीलार्थीगण **भैरूलाल व अन्य** को प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। उपरोक्तानुसार पंचाट पारित किया जावे। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं। विद्वान अधिकरण के आक्षेपित निर्णय को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है तथा विद्वान अधिकरण का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

23. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण **भैरूलाल व अन्य** तथा अपीलार्थिया **तीजा लोनायत**, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

24. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख, संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

25. तदनुसार उपरोक्त अपीलें निस्तारित की जाती है।

26. सभी लम्बित प्रार्थना—पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ/35-36